8– मुआवजा जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है संबंधित जेल के नियम 6 के अधीन गठित समिति द्वारा मुआवजो की राशि के निर्धारण की तिथि से 30 दिनों के भीतर नियम 5 के उप नियम (4) दिये गये के अनुसार मनीआर्डर द्वारा पीड़ित को दिया जाएगा।

परिशिष्ट–15

(प्रस्तर–2(6) देखें)

उत्तर प्रदेश बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम 1956

गृह विभाग (जेल)

सं0 **4764/XXXII-841-1955**

लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर, 1995

इस विषय पर समस्त विभागों नियमों और आज्ञाओं को रद्द करते हुए बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम 1955 (1955 की अधिनियम संख्या 32) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

1. ये नियम उत्तर प्रदेश (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम 1956 कहलायेंगे और 1 जनवरी, 1956 से लागू होंगे।
2. इन नियमों में जब तक विषय प्रसंग में काई बात प्रतिकूल न हो–
   (i) 'अधिनियम' का तात्पर्य बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम 1955 से है।
   (ii) 'कारागार के अधीक्षक' का तात्पर्य कारागार के प्रभारी अधिकारी से है और
   (iii) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
3. धारा 3 के अधीन किसी आदेश के लिए प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने की प्रक्रिया

   धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत किये गये किसी आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से उन तथ्यों का विवरण रहेगा जिनके कारण उसकी राय मे ंआदेश आवश्यक हो और यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश जैसा मामला हो उस विवरण पर विचार करने के पश्चात आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है या प्रतिहस्ताक्षर करना अस्वीकार कर सकता है।
4. **इस बात की घोषणा किस प्रकार की जायेगी कि कारागार में निरूद्ध कोई व्यक्ति हटाये जाने के योग्य नहीं है:–**

ज़ब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश में दिया गया हो, धारा 6 में दिये गये कारणों से हटाये जाने के योग्य नही, तो उस कारागार का अधीक्षक जिसमें वह निरूध हो, उस जिला मजिस्टेट से आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर जेल स्थित हो, और यदि वह मजिस्टेट अपने हस्ताक्षर से लिखकर, अपनी यह राय घोषित करे कि आदेश में नामित व्यक्ति, धारा 6 में उल्लिखित कारणों से हटाये जाने के योग्य नहीं है तो जेल का अधीक्षक आदेश का पालन नहीं करेगा और आदेश देने वाले न्यायालय को उसका पालन न करने के कारणों का विवरण भेजेगा ।

5. **किसी बन्दी पर कोई आदेशिका कैसे तामील की जाएगीः–** जब कोई आदेशिका, किसी जेल में निरूद्ध किसी व्यक्ति के लिये किसी दण्ड न्यायालय या सिविल न्यायालय द्वारा जारी की गई हो तो उसकी तामील, कारागार के अधीक्षक को मूल आदेशिका दिखाकर और उसकी प्रतिलिपि उसे देकर, कि जायेगी ।

6. **तामील की गई आदेशिका, बंदी की प्रार्थना भर भेजी जायेगीः–**

(1) कारागार का प्रत्येक अधीक्षक जि पर नियमों के अधीन तामील की जाय, यथासम्भव शीघ्र आदेशिका की एक प्रति अपने पास जमा करा लोग जो उस व्यक्ति को दिखाई जायेगी और समझाई जायेगी, जिसके लिीए वह हो और उसके बाद वह आदेशिका पर पृष्ठांकन करेगा और इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उक्त व्यक्ति उसके प्रभार में कारागार में निरूद्ध है और आदेशिका की विषय वस्तु दिखा दी गई है और समझा दी गई है।

(2) उक्त प्रमाण पत्र, आदेशिका के तामील किये जाने का प्रत्यक्षतः प्रमाण होगा और यदि वह व्यक्ति जिसके लिए आदेशिक हो वह प्रार्थना पत्र करे कि उसे दिखाई और समझाई गई प्रति किसी अन्य व्यक्ति के पास भेज जी जाय और वह डाक से भेजे जाने का व्यय दे, तो जेल का अधीक्षक उसे भिजवा देगा।

7. **उन न्यायालयों को जिनमें बंदियों की उपस्थिति आवश्यक हो जाते समय या वहॉ से लौटते समय उनके अनुरक्षण और ऐसी उपस्थिति की अवधि में उनकी अभिरक्षा को नियमित करने के लिए प्रकियाः–** जिन न्यायालयों में बंदियों की उपस्थिति अपेक्षित हो वहॉ उन्हे ले जाने और वहॉ से वापिस लाने का कर्तव्य पुलिस द्वारा पूरा किया जायेगा।

8. साधारण अवसरों पर अनुरक्षण दल की संख्या निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी –

<u>संख्या</u>

बन्दियों की संख्या	कान्सटेबल	हेड कास्टेबल
1 से 3 बंदी एक तक	2	
4 ये 6 बंदी तक	3	
7 से 10 बंदी तक	4	1
11 से 15 बंदी तक	5	2
16 से 25 बंदी तक	8	2
26 से 50 बंदी तक	10	3

प्रतिबन्ध यह है कि जब विचाराधीन बंदी हथकड़ी पहनने से मुक्त कर दिये गये हों तो उनके अनुरक्षक दल मे प्रत्येक विचाराधीन बंदी के लिए दो कांस्टेबल होंगे और ऊपर दी गयी संख्या में हेड कांस्टेबल भी होंगे सिवाय उन यात्राओं के जो पुलिस की गाड़ियों में की जायं, जिनमें प्रतिबन्ध यह भी है

कि जब अनुरक्षक दल किसी कुख्यात अपराधी के लिए आवश्यक हो तो विशेष गार्ड जैसे विहित किया जाय, दी जायेगी।

9. बन्दियों को सड़क मार्ग द्वारा ले जाने में अनुरक्षक दल का कमान्डर–

(1) अपने प्रभार के सभी बन्दियों को एक साथ मिला कर रखेगा।

(2) अपने प्रभार की सभी पुलिस को इस क्रम से रखेगा कि वह बंदियों के चारों ओर उनसे कम से कम पांच कदम की दूरी रहें और वह अपने को तथा आधे दल को पीछे रखेगा।

(3) जब तक बिलकुल आवश्यक न हो और पहले से प्राधिकृत नहीं, रात को कभी यात्रा नहीं करेगा और

(4) यात्रायें इस प्रकार विनियमित करेगा कि यदि संभव हो तो बंदियों को रात में किसी हवालात में या पुलिस थाने के भीतर या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रख सके।

10. रेल या सड़कमार्ग से यात्रा करते समय सिद्धदोष बंदियों की ओर विचाराधीन बंदियों की हथकड़ियां और बेड़ियां निम्नलिखित रूप से विनियमित की जायेगी।

ए–सिद्धदोष बंदी

(ए) हथकड़ियां–रेल या सड़क से यात्रा करते समय सिद्धदोष बंदियों को निम्नलिखित रूप में हथकड़ियां लगाई जायेगी।

1– उच्च श्रेणी में उन पुरूष बंदियों को जिन्हे दो वर्ष से अधिक का कठिन कारावास का दण्ड मिला हो, हथकड़ी लगाई जायेगी।

2– उच्च श्रेणी में अन्य बंदियों के तब तक हथकड़ियां नहीं लगाई जायेगी जब तक पुलिस अधीक्षक विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अन्यथा आदेश न दें।

3– साधारण श्रेणी के पुरूष बंदियों को सामान्यतः हथकड़ियां लगाई जायेंगी।

4– महिला बन्दियों को तब तक हथकड़ियों नहीं लगाई जायेंगी जब तक कि भागने हिंसा या आत्महत्या से बचाने के लीिए ऐसा करना अनिवार्य न हो जहॉ ऐसे बंदियों के हथकड़ियों लगाई जांय वहॉ मुख्यालय के ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उसके आचारण कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशेष्ज्ञ बंदी या बंदियों के वर्ग के लिए हथकड़ियां लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश का अनुसरण किया जायेगा।

(बी) बेड़िया–

(1) उच्च श्रेणी के वे बंदी जिन्हें दो वर्ष से अनधिक कठिन वर्ष का कारावास मिला हो रेल या सड़कमार्ग से यात्रा करते समय जब तक न तो बेड़ी और न ही क्रास बार पहनेंगे जब तक कि पुसिल अधीक्षक विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनमें से एक दोंनो के लिए न कहे। ऐसे बन्दियों को यदि वे चाहें तो मार्ग में अपने कपड़ें पहनने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) रेल या सड़कमार्ग से यात्रा करते समय अन्य बंदी जिन्हें नीचे निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो बेड़ियां पहनेंगे और यादि जेल के अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक आवश्यक समझे तो क्रास बार भी पहनेंगे।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224, 225 बी, 302, 303, 304, 308ए, 392 से 402 तक के अधीन दण्डनीय अपराध।

(3) महिला बंदी बेड़ियां या क्रास बार नहीं पहनेंगे।

(4) जेल के अधीक्षक पुलिस रक्षक दल के लिए आवेदन करते समय अधियाचन में उस सिद्धदोष का नाम, अपराध दण्ड और वर्गीकरण लिखेगा जिसके लिए वह बेड़ी पहनने का प्रस्ताव न करें और जिसे निजी कपड़े पहनने की अनुमति दे दी गयी हो।

बी– विचाराधीन बंदी

(1) ऐसे विचाराधीन बन्दियों की दशा में किसी भी प्रयोजन से किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के प्रधिकार के अधीन उपस्थित करेन के लिए पुलिस द्वारा मांग की गयी हो तो ये निर्णय लेना कि किन विचाराधीन बंदियों को हथकड़ियों या बेड़ियें दोनो पहनाई जाये या ये देखना कि निर्णय का प्रतिबन्ध किया जाय पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उन बंदियों को जिन पर निम्नलिखित अनुसूची में बतायये गये अपराधा आरोपित किये गये हों उस समय हथकड़ियां नही लगाई जायेंगी जब वे रेल या सड़कमार्ग से न्यायालय से लौट रहे हो या वहॉ जा रहे हो जब तक कि वे समझने का उचित आधार न हो कि वे भाग जायेंगे हिंसा करेंगे या आत्महत्या करेंगे और जहॉ संभव हो हथकड़ियां लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक या मुख्यालय के किसी अन्य ज्येष्ठ अधिकारी के कारणों सहित आदेश न ले लिये गये हों।

आगे यह भी प्रतिबंध है कि उन सभी बन्दियों को जिन पर निम्नलिखित अपराधों से भिन्न कोई अपराध अरोपित किये गये हों रास्ते में हथकड़ियां लगाई जायेंगी यदि यह समझने का उचित आधार हो कि रास्ते में भागने हिंसा या आत्महत्या को रोकने के लिए हथकड़ियां आवश्यक है।

यह भी प्रतिबंध है कि किसी विशेष बंदी या बन्दियों के वर्ग को हथकड़ियां लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों का अनुसरण किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता– अध्याय 5–ए, 6 और 8 धरायें 153–ए से 160 तक,धारा 170 और 171 को छोड़कर अध्याय 9, अध्याय 9–ए और 10 धारा–216ए, 224, 225 बी और 226 को छोडकर अध्याय 11, अध्याय 11, अध्याय 14 और अध्याय 15 धारा 312 से 316 तक, 323, 334 से 338 तक, 341 से 352 तक 355 से 358 तक, 384 से 389 तक, 403, 404, 421 से 434 तक, 447 और अध्याय17, 19, 20, 21 और 22 और सभी गैर संज्ञेय अपराध।

दंड प्रक्रिया संहित– वे व्यक्ति जिनके विरूद्ध धारा 108 के अधीन कार्यवाही हो रही हो।

अन्य अधिनियम– सभी गैर–संज्ञेय अपराध।

(2) सभी विचाराधीन बंदी जिनके हथकड़ियों लगी हो जेल ले जाते समय और वहॉ से लाते समय उन बंदियों से यथासम्भव अलग रखे जायेंगे जिनको हथकड़ियां न लगी हों।

(3) न्यायालय में जब तक पीठासीन अधिकारी अन्यथा आदेश न दें विचाराधी बंदियों की हथकड़ियां सदैव हटा ली जायेंगी।

(4) हत्या के अपराध के आरोपित विचाराधी बीद की दशा में जिले के मुख्यालय में न्यायालय ले जाते समय बेड़ियां तब तक नहीं लगाई जायेंगी जब तक कि सम्बन्ध बंदी पर हिंसा का कोई अन्य अपराध भी आरोपित न हो या वह खतरनाक या क्रूर अपराधी के रूप में ज्ञात न हो।

(5) मार्ग में विचाराधीन बंदियों को बेड़ियां नहीं पहनायी जायेंगी जब तक कि उन पर हत्या या डकैती के आरोप न हो और जब तक ऐसा करने के विशेष कारण न हों जो मुख्यालय के ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

(6) महिला विचाराधीन बंदियों को तब तक हथकड़ियां नहीं पहनाई जायेंगी जब तक ऐसा करना उनके भाग जाने, हिंसा या आत्महत्या करने से रोकने के लिए अनिवार्य न हो। जहॉ हथकड़ियां पहनाई जायं वहॉ उसके कारण मुख्यालय के ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

11. लोक अभियोजक उपयुक्त दिनांकों पर विचाराधीन बंदियों को सुरक्षित रूप से न्यायालयों से उपस्थित करने का और उन्हे न्यायालय लाने और वहॉ से वापस ले जाने का प्रबंध करेगा। जब न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों की उपस्थित अपेक्षित होगी वह सम्बद्ध कारागार के अधीक्षक के पास उन बंदियों को एक सूची भेजेगा और सूची में यह स्पष्ट लिखेगा कि उसकी राय में किन बंदियों को हथकड़ियां और बेड़ियां या दोनो लगाई जानी है और क्या किसी मामले में क्रास बार भी आवश्यक है। लोक अभियोजक ऊपर नियम 8 में दी गयी संख्या के अभिदेश में बंदियों के आचारण को और उन न्यायालयों की संख्या को निमें उन्हें उपस्थित किया जाना हो ध्यान में रखते हुए अनुरक्षक दल की संख्या भी निर्धारित करेगा। लोक अभियोजक आवश्यक संख्या में पुलिस के लिए रिजर्व इन्सपेक्टर से आवेदन करेगा। जहॉ वह यह समझे कि अनुरक्षक दल पूर्णतः या अंशतः बन्दूकों से लैस हो वहॉ वह पुलिस अधीक्षक यास उसकी अनुपस्थिति में मुख्यालय के ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी से इसके आदेश प्राप्त करेगा।

12. लोक अभियोजक अनुरक्षक दल के कमाण्डर को विहित पुलिस प्रपत्र संख्या 278 में बंदियों की सूची की दो प्रतियां देगा या यदि संभव हो वह एक प्रति जेल अधीक्षक को भी जिस दिन बंदी अपेक्षित हो उस दिन से एक दिन पूर्व भेजेगा। अनुरक्षक दल का कमाण्डर बंदियों की तलाशी लेने और अपना इस बात का समाधान कर लेने के पश्चात कि बेड़ियां आदि के सम्बन्ध में निर्देशय का पालन किया गया है और स्वयं भी हथकड़ियों आदि के

सम्बन्ध में निर्देश का पालन करेन के पश्चात सूची की एक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा जो दण्ड जेल प्राधिकारियों द्वारा रख ली जायेगी।

13. बंदियों को दिये जाने के समय से उनकी सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व उनके जेल लौटने तक और जबतक जेलर सूची पर इस बात का प्रमाणपत्र पृष्ठांकित न कर दें कि बंदी सुरक्षित रूपसे जेल लौट आये हैं या उचित और पर्याप्त कारण से नहीं लौटे हैं अनुरक्षक दल के कमाण्डर पर होगा। बंदियों के जेल लौटने के पूर्व लोक अभियोजक सूची में आवश्यक परिवर्धन और परिवर्तन करेगा।

14. जिन बंदियों को हथकड़ियां लगानी आवश्यक हों उनको वे जेल छोड़ने से पूर्व लगा दी जायेंगी। उस दशा में छोड़कर जब बंदी न्यायालय में ही या किसी सुरक्षित स्थान में निरूद्ध हों उनकी हथकड़ियां नहीं हटाई जायेंगी।

15. मजिस्ट्रेट के शिविर न्यायालय में सिद्धदोष बंदी और विचाराधीन बंदी रात में यदि पांच मील के भीतर कोई थाना हो तो थाने की हवालात में रखे जायेंगे। जब वे रात में हवालात के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में रखे जायेंगे तो वे जंजीर द्वारा एक दूसरे से बांध दिये जायेंगे जिसे अनुरक्षक दल के कमाण्डर द्वारा चलने से पूर्व जेल से ली जायेगी। जब दुर्बल बंदियों के लिए वाहन की व्यवस्था करनी हो तो उनके लिए साधारणतयः एक डोली की व्यवस्था की जा सकती है। बंदियों को अनुरक्षक दल का प्रभारी कमाण्डर मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन रहते हुए मौसम से उनकी रक्षा और उनके परिवहन तथा भोजन के लिए उत्तरदीय होगा।

16. बंदियों को न्यायालय तक और वहॉ से जेल निकटतम मार्ग से ले जाया और लाया जायेगा, परन्तु यथासम्भव बाजार और भीड़ भाड़ के रास्तों से बचा जाना चाहिए।

17. जब महिला बंदियों को न्यायालयों में उपस्थित किया जाय तो इन्हें साधारण हवालाती रक्षकों के साथ नहीं भेजा जायेगा बल्कि अलग रक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।

18. जहॉ जेल न्यायालयों से दूरी परस्थित हो वहॉ साधारणतयः बंदी सरकारी गाड़ियों से न्यायालय ले जाया और वापस लाया जायेगा जब तक कि ऐसी गाड़ियां देना सम्भव न हो। कोई बंदी जो अलग सवारी में जाना चाहता हो और स्वयं अपना तथा अपने अनुरक्षक दल का व्यय देने को तैयार हो तो लोक अभियोजक उसे ऐसा करने को अनुमति देगा यदि उसका उपयुक्त प्रबन्ध सुविधापूर्वक किया जा सकता हो।

19. ऐसे बीद जिनके मुकदमें का निस्तारण हो गया होह और जिन्हें जेल वापस भेजा जाना हो, यथासम्भव अन्य बंदियों की प्रतीक्षा किये बिना जेल भेज दिये जायेंगे।

20. यदि उपस्थित रक्षक पर्याप्त न हो तो लोक अभियोजक रिजर्व इन्सपेक्टर से अतिरिक्त रक्षकों के लिए आवेदन करेगा।

21. उन बंदियों की दशा में जिनका साक्ष्य दाण्डिका विचारणों में अपेक्षित हो उनके पुलिस रक्षकों की अभिरक्षा में रहने के समय में उनके भोजन पर होने वाल व्यय या रक्षकों द्वारा अपनी यात्रा में या उन बंदियों की यात्रा में किया गया यात्रा व्यय जो सम्बद्ध न्यायालय

तक जाने आने में हुआ होपुसिल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। यदि किसी मामलें मे न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि सार्वजनिक न्याय के हित में किसी बंदी का साक्ष्य आवश्यक नहीं है और यदि उक्त बंदी के परीक्षण के लिए आवेदन करने वाला परिवादी या प्रतिवादी उसको न्यायालय तक लाने और ले जाने का अनुमति व्यय जमा न करें तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे बंदी को बुलाना अस्वीकार कर दें यह व्यय उस मानक्रम के अनुसार लगाया जायेगा जो इसमें आगे सिविल वादों के मुकदमों के लिए दिया गया है, यदि उक्त बंदी का परीक्षण करने पर न्यायालय का यह मत हो कि सार्वजनिक न्याय के हित में उसका साक्ष्य अपेक्षित नहीं था तो जमा किया गया व्यय न्यायालय के हस्ताक्षरित और मुहर लगे इस बात के प्रमाण पत्र सहित उस जिले के पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया जायेगा जिसमें न्यायालय हो और वह धनराशि राज्य सरकार की स्वीकृति से पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार जमा कर दी जायेगी।

22. व्यय का जमा किया जाना– सिविल वादों में न्यायालय वाद के किसी ऐसा पक्ष से जो अधिनियम के अधीन किसी बंदी को बुलाये जोन के लिए आवेदन करें सम्मन जारी किये जाने के पूर्व ऐसे बंदी को जिसका साक्ष अपेक्षित हो लाने उसके आहार तथा अनुरक्षण के लिए पर्याप्त अनुमानित व्यय को जमा करने की अपेक्षा करेगा।

प्रतिबन्ध वह है कि उस अकिंचन निर्णीतरिणी से किसी व्यय की मांग नहीं की जाएगी जो जेल में हो और जिसने प्रॉविंशियल इन्सालवेंसी एक्ट 1920 की धारा 6 के अधीन दिवालिया घोषित किये जाने के लिए आवेदन किया हो और जिसकी उपस्थिति स्वंय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन परीक्षण के लिए अपेक्षित हो या जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाय कि बाद के पक्ष व्यय देने में पूर्णतः असमर्थ हैं।

ऐसे व्यय की निम्नलिखित रूप से गणना की जायेगी–

(ए) रेल या सड़क द्वारा लाना — वास्तविक व्यय जैसा नियम 21 में दिया गया है।

(बी) आहार .... — प्रतिदिन 8 आना जब मैदान में ले जाना को और 12 आना जब पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना हो।

यात्रा और दैनिक भत्ता.................. — **पुलिस अनुरक्षक दल**

फाईनेंनशियल हैंडबुक 3 के नियम 23 और 27 के अनुसार

अनुरक्षक दल का वेतन...... कार्यालय मैनुअल के प्रस्तर 158 के अनुसार जिसमें दर निम्नलिखित हो

निरीक्षक 12 रू प्रतिदिन उपनिरीक्षक 8 रू प्रतिदिन, हेड कांस्टेबल 5 रू प्रतिदिन, कांस्टेबल 3 रू प्रतिदिन

इस प्रकार जमा की गई धनराशि न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी जैसा कि नियम 21 में व्यवस्थित है।

23. उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन बंदियों के मामले लागू होंगे जो अपने विरूद्ध लगाये

गये आरोपों का उत्तर देने के लिए भेजे गये हैं और उन बंदियों के मामलों में भी जो दाण्डिक मामलों में साक्ष्य के लिए भेज जाते हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोकत मामलों के दोनों वर्गों में पुलिस विभाग उन के आहार और उन्हें ऐसे न्यायालयों तक लाने और वहॉ से ले जाने का व्यय वहन करेगा जहॉ उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

परिशिष्ट–16

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या–2 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दण्डादेशों के निलम्बन के बारे में और उन शर्ता के बारे में जिन पर अर्जियां प्रस्तुत की और निपटाई जानी चाहिए, निदेश देने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित सामान्य नियमावली बनाते हैं अर्थात–

उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (बदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, –2007 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से प्रवृत्त होगी।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(4) यह नियमावली उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है. सिद्धदोष बंदियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिरुद्ध हो. किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) ऐसे अपराध के लिए. जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बंदियों पर;

(ख) ऐसे बंदियों पर जिन्होंने किसी न्यायालय में दण्डादेश के विरूद्ध लम्बित रहने के दौरान